रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2006/ज्येष्ठ 25, 1928
No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2006/JYAISTHA 25, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

सं. 60/2006-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 367(अ)—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध में, सूची 5 में, मद (10) के सामने, अक्षर, शब्द और अंक "यूवी रेजिन-142/रिबन मैट्रिक" के स्थान पर अक्षर, शब्द और अंक "यूवी रेजिन 1 एंड 2/रिबन मैट्रिक्स" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[फा. सं. 341/16/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 59/2006-सीमाशुल्क, तारीख 14 जून, 2006, सा.का.नि. 364 (अ) तारीख 14 जून, 2006 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2006

No. 60/2006-CUSTOMS

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002, namely :—

In the said notification, in the Annexure, in List 5, against item (10), for the letters, words and figures "UV resin-142/Ribbon matrix", the letters, words and figures "UV resin 1 & 2/Ribbon matrix" shall be substituted.

[F. No. 341/16/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* notification No. 59/2006-Customs, dated the 14th June, 2006 *vide* number G.S.R. 364(E), dated the 14th June, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

सं. 61/2006-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 368(अ).—जबकि, अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य (पी0आर0 चाइना) (जिसे इसमें इसके पश्चात विषयगत देश भी कहा गया है) में मूल रूप से उदगमित या वहां से मैट्रोनीडाजोल (जिसे इसमें इसके पश्चात संबद्ध माल भी कहा गया है) पर अधिसूचना सं 115/2000-सीमाशुल्क, तारीख 31 अगस्त, 2000, सा0का0नि0 698 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2000, द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के जारी रहने के संबंध में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 11 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/9/2003-डीजीएडी, 8 अप्रैल, 2005 द्वारा निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की थी तथा निर्णायक समीक्षा के परिणामों के लम्बित रहने तक, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अवधि उचित समय सीमा तक बढाने का अनुरोध किया था;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 392 (अ), तारीख 14 जून, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 14 जून, 2005, में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 54/2005—सीमाशुल्क, तारीख 14 जून, 2005, द्वारा मेट्रोनीडाजोल पर, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अवधि 15 अप्रैल, 2006, तक बढ़ा दी थी ;

और अभिहित प्राधिकारी, अधिसूचना सं0 15/9/2003-डीजीएडी, तारीख 5 अप्रैल, 2006, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 5 अप्रैल , 2006, में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) विषयगत देश से संबद्ध माल का निर्यात सामान्य से कम मूल्य पर हुआ है और उसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है,

(ख) घरेलू उद्योग को पाटित वस्तुओं के आयात से तात्विक क्षति हुई है;

(ग) यदि विषयगत देश से संबद्ध माल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटन के जारी रहने एवं क्षति के पुनः होने की संभावना है ।

और अभिहित प्राधिकारी ने, घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने हेतु, विषयगत देश में मूल रूप से उदगमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ कीमत और अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्रम सं0	टैरिफ मद	विवरण	विनिर्देशन	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	संदर्भ कीमत	मापन इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2933 29 20	मेट्रोनीडाजोल	-	चीन जनवादी गणराज्य	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	9.94	किलोग्राम	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) " अवतरण मूल्य " से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 8ख और धारा 9क के अधीन उद्गृहीत शुल्कों को छोडकर, सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ख) प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू " विनिमय दर " वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और " विनिमय दर " के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन " प्रवेश पत्र " के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/17/2000–टीआरयू(भाग-II)]

सोनल बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2006

No. 61/2006-CUSTOMS

G.S.R. 368(E).—Whereas the designated authority vide notification No. 15/9/2003-DGAD, dated the 8th April, 2005, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, had initiated review in the matter of continuation of final anti-dumping duty on import of Metronidazole (hereinafter referred to as the subject goods) originating in, or exported from, the Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) imposed *vide* notification No. 115/2000-Customs, dated the 31st August, 2000, G.S.R. 698(E), dated the 31st August, 2000, and had requested for suitable extension of anti-dumping duty pending the results of the review investigations;

And whereas, the Central Government has extended the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in, or exported from the subject country *vide* notification No. 54/2005-Customs dated the 14th June, 2005, G.S.R. 392(E), dated the 14th June, 2005, up to and inclusive of 15th April, 2006;

And whereas, the designated authority vide notification No. 15/9/2003-DGAD dated 5th April, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th April, 2006, has concluded that –

(a) the subject goods originating in, or exported from, the subject country have been exported to India below their normal value, resulting in dumping;

(b) the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports;

(c) and discontinuation of anti-dumping duties on the subject goods from subject country may likely to continue or lead to the recurrence of injury to the domestic industry and dumping,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on the subject goods originating in, or exported from, the subject country in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6) and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7) and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty which shall be equal to the difference between the reference price as indicated in column (9) and the landed value, in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

Sl. No.	tariff item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Reference price	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2933 29 20	Metronidazole	-	People's Republic of China	Any Country	Any Producer	Any Exporter	9.94	Kilogram	US Dollar.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of Customs except duties levied under sections 3, 8B and 9A of the said Customs Tariff Act.

(b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/17/2000-TRU(Pt.-II)]

SONAL BAJAJ, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.